MARAN): Madam, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report and Accounts of the National Institute of Urban Affairs, New Delhi for the year 1988-89, together with Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the Institute.

[Placed in Library. See No. LT-835/90 fo r(i) and (ii).]

I. Notifications of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): Madam on behalf of Shri Nathu Ram Mirdha, I lay on the Table:—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) under sub-section (5) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964:—

(i) Notification No. 50 dated the 1st March, 1990, publishing the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Amendment Regulation, 1990.

(ii) Notification No. 51 dated the 1st March, 1990, publishing the Food Corporation of India (Staff) (101st amendment) Regulations, 1990. [Placed in Library. See on LT-611/90 for (i) and (ii)]

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) Notification G.S.R. No. 435 (E) dated the 5th April, 1990, publishing the Central Warehousing Corporation (Amendment) Rules, 1990, under sub-section (3) of Section 41 of the Warehousing Corporations Act, 1962. [Placed in Library. See No. LT-682/90.]

I. Report and Accounts (1988-89) of the National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun and related papers.

II. Report and Accounts (1988-89) of the National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack and related papers.

III. Report and Accounts (1988-89) of the Institute for the Physically Handicapped, New Delhi and related papers.

IV. Report and Accounts (1988-89) of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad and related papers.

V. Report and Accounts (1988-89) of the Ali Yarar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Bombay and related papers.

VI. Apprenticeship (Amendment) Rules, 1989.

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

I. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :—

(क) 1988–89 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय द्रष्टिवाधितार्थ संस्थान देहरादून का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक के लिए देखिए संख्य एल० टी० 647/90]

II. (क) 1988-89 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक के लिए देखिए संख्या एल० टी०-677/90]

III. (क) 1988-89 के वर्ष के लिए इंस्टीटयूट फार दि फिजकली हेण्डीकेप्ड, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक के लिए देखिए संख्या एल० टी०-678/90]

IV (क) 1988-89 के वर्ष के लिए मानसिक रूप से बाधितार्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेख, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक के लिए देखिए संख्या एल० टी०-676/90]

V. (क) 1988-89 के वर्ष के लिए श्रवण बाधितार्थ व्यक्तियों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक के लिए देखिए संख्या एल० टी०-675/90]

VI. भिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन भिक्षुता (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 909, दिनांक 9 दिसम्बर, 1989 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-714/90]

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK

संसदीय कार्य तथा पर्यटन राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 7 मई, 1990 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :—

1. वाणिज्य मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा ।

2. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार और पारित करना ।

3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों पर नियम, 176 के अधीन चर्चा ।